



**डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow**  
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : २१८ / फा०सं०-४१९ / अधिष्ठाता / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / २०२४-२५

दिनांक: ०५ मई, २०२४

**कार्यालय-आदेश**

उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-१२६७/सत्तर-३-२०२१-१६ (२६)/२०११, दिनांक १५.०६.२०२१ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के अनुरूप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या- १८१३३/६५-३-२०२२, दिनांक ०१ जुलाई, २०२२ द्वारा उच्च शिक्षा के उक्त शासनादेश दिनांक १५.०६.२०२१ में वर्णित प्राविधानों के आलोक में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुसार संकायों के पुनर्गठन की कार्यवाही किये जाने पर अनुमति प्रदान की गई है।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की मा० कार्य परिषद की ४०वीं बैठक दिनांक १९ अगस्त, २०२२ एवं मा० कार्य परिषद की ४१वीं बैठक दिनांक ०७.११.२०२२ में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक १८६/फा०सं०-२२५/कार्य०परि०/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./२०२४-२५, दिनांक ०१ मई, २०२४ द्वारा विश्वविद्यालय सृजित विभिन्न संकायों/विभागों का पुनर्गठन किया गया है।

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, २००९ के अध्याय-५ में संकायों के संकायाध्यक्ष सम्बन्धी धारा-५.०१ से ५.०४ में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन, शिक्षकवृन्द एवं विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं के त्वरित निस्तारण तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में शैक्षिक अनुशासन बनाये रखने के लिए मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रो० वी० के० सिंह, आचार्य, अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग को पैरामेडिकल रिहैबिलिटेशन साइन्सेज (Faculty of Para-Medical Rehabilitation Sciences) का संकायाध्यक्ष अग्रिम आदेशों तक के लिए नामित किये जाने का निदेश हुआ है।

उपरोक्त पद पर कार्य हेतु कोई विशेष वेतन अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रोहित सिंह)  
कुलसचिव

**पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. बैयक्तिक सहायक कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
२. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
३. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
४. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक।
५. प्रो० वी० के० सिंह, आचार्य, अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग।
७. सम्बन्धित संकाय के समस्त शिक्षकवृन्द।
८. समस्त अधिकारीगण।
९. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की बेवसाइट अपलोड हेतु।
१०. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
११. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)  
कुलसचिव